

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/85/2020

गोपीराम अग्रवाल ,आरटीआई रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा (राज0)।

बनाम

अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 07.12.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त गोपीराम अग्रवाल ,आरटीआई रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा (राज0) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2020 अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/695 दिनांक 12.11.2020 के अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/10929 दिनांक 24.11.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 10929 दिनांक 24.11.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब की तारीख में पत्र क्रमांक 9883 दिनांक 15.10.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलान्त को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं। अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अति0 जिला कलक्टर, राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडे)
जिला कलक्टर
भरतपुर

